

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पोटासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या -138/2019 (Bank Case)

एच0डी0एफ0सी0 लिमिटेड शाखा -सी स्कीम जिला जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री अवदेश कुमार पुत्र श्री रामकिशोर पाठक (ऋणी/बंधककर्ता)
निवासी- फ्लेट नं0 407, फोर्थ फ्लोर श्री सुधा सागर कॉम्प्लेक्स बाल मन्दिर स्कूल रोड भीमगंजमण्डी, कोटा-324001
एवं
गली नं0 12, पूनम कोलोनी, कोटा जंक्शन, कोटा-324005
एवं
टेक-2, वॉगन रिपेयर दुकान, पश्चिम रेलवे सेन्ट्रल कोटा-324002
- अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेशियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 एतद् पश्चात् "एक्ट" से सम्बोधित किया गया है, बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत्।

श्री अमरसिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 17.12.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि एच0डी0एफ0सी0 लिमिटेड शाखा -सी स्कीम जिला जयपुर में स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 26.10.2015 व 31.10.2015 को रुपये 20,00,000/- (अक्षरे: रुपये बीस लाख मात्र) व 84,589/- (अक्षरे: रुपये चौरयासी हजार पांच सौ नैवासी मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति श्री अवदेश कुमार पुत्र श्री रामकिशोर पाठक का फ्लेट नं0 407, फोर्थ फ्लोर श्री सुधा सागर कॉम्प्लेक्स बाल मन्दिर स्कूल रोड भीमगंजमण्डी, कोटा-324001, स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 920 वर्ग फुट) को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 31.01.2019 व 30.04.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों में 22,07,808/- (अक्षरे बाईस लाख सात हजार आठ सौ आठ रुपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.08.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार हैं। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 23.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को


Om
जिला मजिस्ट्रेट


नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी दिनांक 28.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 28.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति श्री अवदेश कुमार पुत्र श्री रामकिशोर पाठक का फ्लैट नं0 407, फोर्थ फ्लोर श्री सुधा सागर कॉम्प्लेक्स बाल मन्दिर स्कूल रोड भीमगंजमण्डी, कोटा-324001, स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 920 वर्ग फुट) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 17.12.2019 को सुनाया गया।




(आम कसरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा